भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1171
11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए पीएम ईड्राइव योजना -

1171. श्री शशांक मणि:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाए जाने में वृद्धि करने के विशिष्ट लक्ष्यों सहित पीएम ई- ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताओं, मुख्य घटकों और उद्देश्यों को रेखांकित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने कि लिए उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देना शामिल है और यदि हां, तो पात्रता मानदंड और प्रस्तावित प्रोत्साहनों के श्रेणीवार प्रकार सहित तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या पीएम ई-ड्राइव योजना का समर्थन करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना जैसी अवसंरचनागत विकास योजनाएं हैं और यदि हां, तो इन विकासों के लिए आवंटित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना की प्रगति और इसके उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावोत्पादकता का आकलन करने के लिए किसी निगरानी तंत्र की स्थापना की है और यदि हां, तो इसकी सफलता के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मैट्रिक्स अथवा मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारत सरकार ने देश में ईवी विनिर्माण पारिस्थिकी तंत्र की हरित गतिशीलता और विकास को गति प्रदान करने के लिए 29.09.2024 को 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम ' को अधिसूचित किया है। इस स्कीम का परिव्यय 01.04.2024 से 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छह महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को पीएम ई-ड्राइव स्कीम में शामिल कर दिया गया है।

पीएम ई ड्राइव-स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

- i. **ई-वाउचर की शुरुआत:-** भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार के लिए ई-वाउचर प्रस्तुत किए हैं।
- ii. **नए वाहन सेगमेंट की शुरुआत:-** इस स्कीम के तहत ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों की तैनाती हेतु प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आरामदायक रोगी परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह नई पहल है। इसी तरह, स्कीम के तहत ई-ट्रक भी प्रस्तुत किए गए हैं।
- iii. **परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन:** वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इस स्कीम के निम्नलिखित तीन संघटक हैं:

- i. **सब्सिडी:** ई –दुपहिया, ई –तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन के रूप में ₹3,679 करोड़;
- ii. **अनुदान:** पूंजीगत परिसंपत्तियों यानी ई-बसों, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और इस स्कीम के तहत चिन्हित की गई वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 7,171 करोड़ रुपये; और
- iii. **आईईसी सहित स्कीम का प्रशासन (सूचना, शिक्षा और संचार**) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के लिए शुल्क।

(ख) और (ग): पीएम ई ड्राइव-स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देना है:

- i. **मांग प्रोत्साहन:** ये प्रोत्साहन सीधे तौर पर खरीद के समय उपभोक्ताओं के लिए ईवीएस की अग्रिम लागत को कम करते हैं। सरकार मूल उपकरण निर्माताओं को प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति करती है।
- ii. **चार्जिंग अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता:** यह स्कीम विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करती है।
- iii. **पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान** इस :स्कीम में 14,028 ईबसों की तैनाती के लिए अनुदान के - रूप में4,391 करोड़ रुपये और स्कीम के तहत चिन्हित की गई वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए अनुदान के रूप में 780 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

केन्द्रीय मोटर वहाँ नियमों (सीएमवीआर) के अनुसार “मोटर वाहन” के रूप में पंजीकृत वाहन ही प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे । केवल उन्नत बैटरियों से लैस वाहन और योजना के तहत अधिसूचित प्रदर्शन मानदंडों को फुर्र करने वाले वाहन योजन के तहत पात्र हैं ।

(घ): जी हां, पीएम ईड्राइव स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी- और आकलन करने के लिए तंत्र मौजूद है। सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और मंजूरी समिति, अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति, पीएम ईड्राइव स्कीम की समग्र निगरानी-, मंजूरी और

कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है। यह समिति कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा या कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार है।

******